



2026:AHC:21255

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 2113 सन् 2026

ऐश आलम अंसारी और एक अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 10 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : महेंद्र सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,

- कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रार्थना की है कि यह याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज कर दी जाए और याचिकाकर्ता को नई याचिका दायर करने की अनुमति दी जाए।
- प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया है।
- तदनुसार, रिट याचिका को वापस ले ली गई मानकर खारिज किया जाता है और याचिकाकर्ता को प्रार्थना के अनुसार अनुमति दी जाती है।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026

सकलैन